पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, (छ.ग.)
दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स-0771-2262818, 2262857

क्रमांक : 1057/अका./सम्ब.वृद्धि/2016 रायपुर, दिनांक 05/04/2016

|| आदेश ||

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 15.10.2015 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.10.2015 में अनुमोदन प्रदान किया गया है, अनुमोदन पश्चात् नीचे उल्लेखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन सम्बद्धता सत्र 2015-16 के लिए बढ़ाई जाती है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय
1	बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी (छ.ग.) pgcollegedhamtari@gmail.com, Mobile No.- 9826036199	**Non-Permanent Affiliation** B.A. - Hindi, Sanskrit, English, History, Econo., Political Sc., Geography, Sociology, Home Science B.A.-I Add.Sub.(45 Seat) Psychology B.Sc. - Physics, Chem., Botany, Zoology, Maths. B.Com., B.H.Sc., L.L.B. B.Sc. - Inf. Techno.(30) B.Com. - Comp. Appl.(40) B.C.A. (40 Seat) D.C.A. (40 Seat) M.A. - Hindi, Geography, Economics, Political Sc., History. M.Sc.-Maths, Chemistry, M.H.Sc.- Child Develop., M.Com. PGDCA 100Seat (50+50 seat extansion 13-14)

आदेशानुसार,

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक : 1058 /अका./सम्ब.वृद्धि/2016 रायपुर, दिनांक 05/04/2016

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक-सी, 30, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
2. सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य को,
3. सहायक कुलसचिव (परीक्षा)/ उप कुलसचिव गोपनीय, नामांकन विभाग,
4. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

PRINCIPAL
B.C.S. Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)

1432
24-9-16

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, (छ. ग.)

दूरभाष 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771–2262818, 2262...

क्रमांक 2324 / अका. / सम्ब.वृद्धि / 2016 रायपुर, दिनांक 20 / 09 / 2016

|| आदेश ||

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 15.0...2016 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2016 में अनुमोदन प्रदान किया गया है अनुमोदन पश्चात नीचे उल्लेखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन वार्षिक सम्बद्धता सत्र 2016–17 के लिए प्रदान की जाती है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय
	बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी (छ.ग.) pgcollegedhamtari@gmail.com. Mobile No.- 9826036199	**Non- Permanent Affiliation** B.A. - Hindi, Sanskrit, English, History, Econo., Political Sc., Geography, Sociology, Home Science B.A.-I Add.Sub.(45 Seat) Psychology B.Sc. - Physics, Chem., Botany, Zoology, Maths B.Com., B.H.Sc., L.L.B. B.Sc. - Inf. Techno (30) B.Com. - Comp. Appl (40) B.C.A. (40 Seat) D.C.A. (40 Seat). M.A. - Hindi, Geography, Economics, Political Sc., History M.Sc.-Maths, Chemistry, M.H.Sc.- Child Develop.. M.Com. PGDCA 100Seat (50+50 seat extension 13-14)

24/9/16

24.9.16

उप कुलसचिव (अका)

पृ. क्रमांक 2325 / अका. / सम्ब.वृद्धि / 2016 रायपुर, दिनांक 20 / 09 / 2016

प्रतिलिपि –

1. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक–सी 30, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
2. सम्बंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को,
3. समन्वयक कुलसचिव(परीक्षा) / उप कुलसचिव गोपनीय / सामान्य विभाग / प्रभारी अधिकारी ... कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

PRINCIPAL
B.C.S. Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, (छ.ग.)
दूरभाष 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771–2262[illegible]

क्रमांक 4777 /अका./सम्ब.वृद्धि/2017 रायपुर, दिनांक 01/09/2017

।। आदेश ।।

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 05.08.2017 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.08.2017 में अनुमोदन प्रदान किया गया है अनुमोदन पश्चात् नीचे उल्लेखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन वार्षिक सम्बद्धता सत्र 2017–18 के लिए प्रदान की जाती है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय
1	बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी (छ.ग.) pgcollege-dmt.cg@gov.in, pgcollegedhamtari@gmail.com Mobile No.- 9826036199 Phone No.- 07722-237933	**Permanent Affiliation** B.A. - FC (Hindi, English), History, Economics., Political Sc., Geography, Sociology, B.Sc. - Physics, Chem., Botany, Zoology, Maths. B.Sc. - Inf. Techno.(30) B.Com.-All Compulsory Subject, B.Com. - Comp. Appl.(40) L.L.B. B.C.A. (40 Seat) D.C.A. (40 Seat) M.A. - Hindi, Geography, Economics, Political Sc., History M.Sc.-Maths, Chemistry, M.H.Sc.- Child Develop., M.Com. PGDCA 100Seat (50+50 seat extansion 13-14) **Non- Permanent Affiliation** B.A. - Hindi, Sanskrit, English, Home Science B.A.-I Add.Sub.(45 Seat) Psychology B.H.Sc.

निर्देश:–

1. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय एवं शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों का पालन किया जावे।
2. छात्रों की उपस्थिति नियमानुसार होनी चाहिये।

आदेशानुसार

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक 4778 /अका./सम्ब.वृद्धि/2017 रायपुर, दिनांक 01/09/2017

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक–सी. 30, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
2. सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य को,
3. सहायक कुलसचिव(परीक्षा)/उप कुलसचिव गोपनीय, नामांकन विभाग/प्रभारी अधिकारी प्रेस
4. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

PRINCIPAL
B.C.S. Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, (छ. ग.)
दूरभाष: 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771–2262818, 2262607

क्रमांक 7614 / अका. / सम्ब.वृद्धि / 2018 रायपुर, दिनांक 30 / 11 / 2018

|| आदेश ||

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 07.08.2018 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.09.2018 में अनुमोदन प्रदान किया गया है अनुमोदन पश्चात् नीचे उल्लेखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा / विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन वार्षिक सम्बद्धता सत्र 2018–19 के लिए प्रदान की जाती है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय
1	बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी (छ.ग.) pgcollege-dmt.cg@gov.in, pgcollegedhamtari@gmail.com Mobile No.- 9826036199 Phone No.- 07722-237933	**Permanent Affiliation** B.A. - FC (Hindi, English), History, Economics., Political Sc., Geography, Sociology, B.Sc. - Physics, Chem., Botany, Zoology, Maths. B.Sc. - Inf. Techno.(30) B.Com.-All Compulsory Subject, B.Com. - Comp. Appl.(40) L.L.B. B.C.A. (40 Seat) D.C.A. (40 Seat) M.A. - Hindi, Geography, Economics, Political Sc., History. M.Sc.-Maths, Chemistry, M.H.Sc.- Child Develop., M.Com. PGDCA 100Seat (50+50 seat extansion 13-14) **Non- Permanent Affiliation** B.A. - Hindi, Sanskrit, English, Home Science B.A.- Add. Sub. (45 Seat) Psychology B.H.Sc.,

निर्देशः–

1. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय एवं शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों का पालन किया जावे।
2. छात्रों की उपस्थिति नियमानुसार होनी चाहिये।

आदेशानुसार

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

पृ. क्रमांक 7615 / अका. / सम्ब.वृद्धि / 2018 रायपुर, दिनांक 30/11/2018

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय,ब्लाक–सी, 30,द्वितीय तल,इंद्रावती भवन,अटल नगर, रायपुर।
2. सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य को,
3. सहायक कुलसचिव(परीक्षा) / उप कुलसचिव गोपनीय, नामांकन विभाग / प्रभारी अधिकारी प्रेस
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)

PRINCIPAL
B.C.S. Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
Registrar
C&C
03-12-18

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (मूल्यांकन), फैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 8003/अका./सम्बद्धता/2019

रायपुर, दिनांक : 01 /02/2019

GOVT. P.G. COLLEGE DHAMTARI (C.G.) 1948 7.2.19

|| आदेश ||

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.01.2019 की अनुशंसानुसार एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16.01.2019 के निर्णयानुसार बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी जिला- धमतरी (छ.ग.) को दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्र के लिये अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:-

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	M.Sc.- I/II Sem.- Zoology	30	2018-19
2	M.Sc.- I/II Sem.- Physics	30	
3.	M.Sc. I/II Sem.- IT	30	

शासन का आदेश- छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्र. एफ 3-4/2018/38-1 रायपुर, दिनांक 03.08.2018.

शर्तें :-

1. छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
2. समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
3. M.Sc.-III/IV Sem.- Zoology, Physics, IT की संबद्धता हेतु 30 जून 2019 तक शुल्क जमा कर आवेदन विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
4. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में निम्नलिखित दर्शित कमियों की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई –

The laboratory facility are inadequate. Separate class rooms are required to run PG Classes. The equipment and lab facility are inadequate and need to be upgraded as per syllabus of M.Sc. courses. The IT lab has only limited computer of old configuration. New Computer and licence Software has to be purchased. More books have to be purchased in all the three subjects as per syllabus. At least two journals in each subject be also procured.

आदेशानुसार,

(हस्ताक्षर)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

पृ. क्रमांक : 8004 /अका./सम्बद्धता/2019

रायपुर, दिनांक : 01 /02/2019

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त,उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-30,द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)।
2. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
3. संचालक, शारीरिक शिक्षा,
4. सं.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास/प्रेस,
5. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)

Registrar सम्बद्धता फाईल में रखे 07.02.19

PRINCIPAL
B.C.S. Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, (छ.ग.)

दूरभाष 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262640 (कुलसचिव) फैक्स-0771-2262[illegible]

क्रमांक 1260 / अका. / सम्ब.वृद्धि / 2019 रायपुर, दिनांक [illegible]

(154) 5.10.19

|| आदेश ||

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.07.2019 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.07.2019 में अनुमोदन प्रदान किया गया है. अनुमोदन पश्चात् नीचे उल्लेखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा / विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन वार्षिक सम्बद्धता सत्र 2019-20 के लिए प्रदान की जाती है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय
1.	बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी (छ.ग.) pgcollege-dmt.cg@gov.in, pgcollegedhamtari@gmail.com Mobile No.- 9826036199 Phone No.- 07722-237933	**Permanent Affiliation** B.A. - FC (Hindi, English) History, [illegible] Geography, Sociology B.Sc. - Physics, Chemistry, [illegible] B.Sc. - Inf. Technology B.Com.-All Compulsory Subject, B.Com. - Comp. Appl (40) L.L.B.. B.C.A. (40 Seat), D.C.A. (40 Seat) **Non- Permanent Affiliation** M.A. - Hindi, Geography, Economics, Political Sc., History M.Sc.-Maths, Chemistry, M.H.Sc.- Child Develop.. M.Com. PGDCA 100Seat (50+50 seat extansion 13-14) B.A. - Hindi, Sanskrit, English, Home Science B.A.- Add. Sub. (45 Seat) Psychology B.H.Sc. M.Sc. I/II-(30 Seat) Zoology M.Sc. I/II-(30 Seat) Physics M.Sc. I/II-(30 Seat)- IT

निर्देश –

1. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय एवं शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों का पालन किया जावे।
2. छात्रों की उपस्थिति नियमानुसार होनी चाहिये।
3. कक्षा M.Sc. III/IV Sem.- Zoology, Physics & IT की संबद्धता हेतु शुल्क सहित आवेदन अतिशीघ्र विश्वविद्यालय में जमा करावें।

आदेशानुसार

(हस्ताक्षर) 01.10.19

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

पृ. क्रमांक : 1261 / अका. / सम्ब.वृद्धि / 2019 रायपुर, दिनांक 03/10/2019

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक-सी, [illegible] नवा रायपुर [illegible]
2. सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य को,
3. सहायक कुलसचिव(परीक्षा) / उप कुलसचिव गोपनीय, मूल्यांकन विभाग, [illegible]
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
5. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु [illegible]

वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)

H.C. do the needful
(हस्ताक्षर) 04.10.19

PRINCIPAL
B.C.S. Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, (छ. ग.)

दूरभाष 0771-2262540 (कुलपति), 0771-2262640 (कुलसचिव), फैक्स-0771-2262818, 2262

क्रमांक 3 4 0 /अका./सम्ब.वृद्धि/2020 रायपुर, दिनांक 01/10/2020

426
03.10.20

|| आदेश ||

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.09.2020 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.09.2020 में अनुमोदन प्रदान किया गया है. अनुमोदन पश्चात् नीचे उल्लेखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन वार्षिक सम्बद्धता सत्र 2020-21 के लिए प्रदान की जाती है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय
	बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी (छ.ग.) pgcollege-dmt.cg@gov.in, pgcollegedhamtari@gmail.com Phone No.- 07722-237933	**Permanent Affiliation** B.A. - FC (Hindi, English), History, Economics, Political Sc., Geography, Sociology. B.Sc. - Physics, Chem., Botany, Zoology, Maths B.Sc. - Inf. Techno.(30) B.Com.-All Compulsory Subject. B.Com. - Comp. Appl.(40) L.L.B., B.C.A. (40 Seat), D.C.A. (40 Seat) **Non- Permanent Affiliation** M.A. - Hindi, Geography, Economics, Political Sc., History, M.Sc.-Maths, Chemistry, M.H.Sc.- Child Develop., M.Com. PGDCA (100 Seat) B.A. - Hindi, Sanskrit, English, Home Science B.A.- Add. Sub. (45 Seat) Psychology B.H.Sc. M.Sc. - Zoology (30 Seat) M.Sc. - Physics (30 Seat) M.Sc. - IT (30 Seat)

निर्देश –

1. महाविद्यालय मे प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय एवं शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों का पालन किया जावे।
2. छात्रों की उपस्थिति नियमानुसार होनी चाहिये।

आदेशानुसार,

01.10.20

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

पृ. क्रमांक 3 4 1 /अका./सम्ब.वृद्धि/2020 रायपुर, दिनांक 01/10/2020

प्रतिलिपि –

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक-सी, 30, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर।
2. सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य को
3. सहायक कुलसचिव(परीक्षा)/उप कुलसचिव गोपनीय/मूल्यांकन विभाग/प्रभारी अधिकारी प्रेस
4. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)

PRINCIPAL
B.C.S. Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य
बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी (छ.ग.)
Website - www.bcspgcdmt.com
E-mail - pgcollege.dhamtari@gmail.com
AISHE CODE: C-21763
दूरभाष– 07722–238933
फैक्स – 07722–237933

Number of programs offered year wise during last five years

YEAR	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
NO. OF PROGRAMS	22	22	19	19	19

2019-20		
Program Code	Program Name	Year of Itoduction
	B.A.	2019-20
	B.Sc	2019-20
	B.Sc (Home science)	2019-20
	L.L.B.	2019-20
	B. Com.	2019-20
	BCA	2019-20
	DCA	2019-20
	M.Sc. (Mathematics)	2019-20

	M.Sc. (Physics)	2019-20
	M.Sc. (Chemistry)	2019-20
	M.Sc. (Zoology)	2019-20
	M.Sc. (Information Technology)	2019-20
	M.Sc. (Home Science)	2019-20
	M.A.(Hindi)	2019-20
	M.A.(Economics)	2019-20
	M.A.(Geography)	2019-20
	M.A.(History)	2019-20
	M.A.(Political Science)	2019-20
	M.Com.	2019-20
	PGDCA	2019-20
	Ph.D.(Economics)	2019-20
	Ph.D.(Hindi)	2019-20

2018-19

Program Code	Program Name	Year of offering
	B.A.	2018-19
	B.Sc	2018-19
	B.Sc (Home science)	2018-19

B. C. S. GOVT. P. G. COLL. DHAMTARI

	L.L.B.	2018-19
	B. Com.	2018-19
	BCA	2018-19
	DCA	2018-19
	M.Sc. (Mathematics)	2018-19
	M.Sc. (Physics)	2018-19
	M.Sc. (Chemistry)	2018-19
	M.Sc. (Zoology)	2018-19
	M.Sc. (Information Technology)	2018-19
	M.Sc. (Home Science)	2018-19
	M.A.(Hindi)	2018-19
	M.A.(Economics)	2018-19
	M.A.(Geography)	2018-19
	M.A.(History)	2018-19
	M.A.(Political Science)	2018-19
	M.Com.	2018-19
	PGDCA	2018-19
	Ph.D.(Economics)	2018-19
	Ph.D.(Hindi)	2018-19

2017-18

Program Code	Program Name	Year of offering
	B.A.	2017-18
	B.Sc	2017-18
	B.Sc (Home science)	2017-18
	L.L.B.	2017-18
	B. Com.	2017-18
	BCA	2017-18
	DCA	2017-18
	M.Sc. (Mathematics)	2017-18
	M.Sc. (Chemistry)	2017-18
	M.Sc. (Home Science)	2017-18
	M.A.(Hindi)	2017-18
	M.A.(Economics)	2017-18
	M.A.(Geography)	2017-18
	M.A.(History)	2017-18
	M.A.(Political Science)	2017-18
	M.Com.	2017-18
	PGDCA	2017-18

B. C. S. GOVT. P. G. COLLEGE DHAMTARI

	Ph.D.(Economics)	2017-18
	Ph.D.(Hindi)	2017-18

2016-17

Program Code	Program Name	Year of offering
	B.A.	2016-17
	B.Sc	2016-17
	B.Sc (Home science)	2016-17
	L.L.B.	2016-17
	B. Com.	2016-17
	BCA	2016-17
	DCA	2016-17
	M.Sc. (Mathematics)	2016-17
	M.Sc. (Chemistry)	2016-17
	M.Sc. (Home Science)	2016-17
	M.A.(Hindi)	2016-17
	M.A.(Economics)	2016-17
	M.A.(Geography)	2016-17
	M.A.(History)	2016-17
	M.A.(Political Science)	2016-17

B. C. S. GOVT. P. G. COLLEGE DHAMTARI (C.G.)

	M.Com.	2016-17
	PGDCA	2016-17
	Ph.D.(Economics)	2016-17
	Ph.D.(Hindi)	2016-17

2015-16

Program Code	Program Name	Year of offering
	B.A.	2015-16
	B.Sc	2015-16
	B.Sc (Home science)	2015-16
	L.L.B.	2015-16
	B. Com.	2015-16
	BCA	2015-16
	DCA	2015-16
	M.Sc. (Mathematics)	2015-16
	M.Sc. (Chemistry)	2015-16
	M.Sc. (Home Science)	2015-16
	M.A.(Hindi)	2015-16
	M.A.(Economics)	2015-16
	M.A.(Geography)	2015-16

B. C. S. GOVT. P. G. COLLEGE DHAMTARI

	M.A.(History)	2015-16
	M.A.(Political Science)	2015-16
	M.Com.	2015-16
	PGDCA	2015-16
	Ph.D.(Economics)	2015-16
	Ph.D.(Hindi)	2015-16

Principal
B.C.S. Govt. P. G. College
Dhamtari (C.G.)
प्राचार्य
बी.सी.एस.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जिला–धमतरी (छ.ग.)

Principal
B.C.S. Govt. P. G. College
Dhamtari (C.G.)

विवरणिका

बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
धमतरी (छत्तीसगढ़)

₹ 60/-

कृते ज्ञानान्न मुक्ति

बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

धमतरी (छत्तीसगढ़)

Principal
B.C.S. Govt. P. G. College
Dhamtari (C.G.)

विवरणिका

सत्र 20............ 20................

अनुक्रमणिका

- ✓✧ महाविद्यालय का परिचय 03
- ✓✧ उपलब्ध अध्ययन–व्यवस्था 04
- ✓✧ विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित स्थान 05
- ✓✧ संकायवार उपलब्ध विषय 06
- ✧ शासकीय महाविद्यालयों की शासकीय एवं अशासकीय शुल्कों का विवरण 11
- ✧ छात्रवृत्ति / शिष्यवृत्ति का विवरण 13
- ✧ महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ 15
- ✧ महाविद्यालय–परिवार 21
- ✧ अकादमिक कैलेण्डर 25
- ✓✧ विद्यार्थियों के लिए आचरण–संहिता 27

बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
धमतरी (छत्तीसगढ़)

महाविद्यालय का परिचय

बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित संस्था है और शासन के निर्देशानुसार बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हेतु स्थानीय प्रबंधन समिति (पंजीयन क्रमांक 4059) पंजीकृत है। धमतरी क्षेत्र में उच्च शिक्षा के विकास के लिये महाविद्यालय की आवश्यकता का अनुभव कर आदर्श शिक्षण समिति, धमतरी ने 1963 में नूतन कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय की स्थापना की। नूतन महाविद्यालय में विज्ञान के अध्ययन की सुविधा न होने के कारण लाल बहादुर लाल शिक्षण समिति, धमतरी ने धमतरी विज्ञान, कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय की स्थापना 1968–69 में की। तत्कालीन म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग ने 09 जून 1981 को इन दोनों महाविद्यालयों का अधिग्रहण कर इन्हें एकीकृत किया। इस प्रकार शासकीय महाविद्यालय धमतरी अस्तित्व में आया। क्षेत्र के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव की स्मृति को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये 1996 में शासन ने महाविद्यालय का नामकरण उनके नाम पर किया। अब यह महाविद्यालय बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी के नाम से जाना जाता है। महाविद्यालय में गणित, रसायन शास्त्र, गृह विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल, हिन्दी एवं इतिहास में स्नातकोत्तर अध्ययन की सुविधा है। महाविद्यालय में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली एवं पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय बिलासपुर के अध्ययन केन्द्र भी संचालित है। शासन की नीति के अनुरूप महाविद्यालय में जनभागीदारी समिति सन् 1997 में पंजीकृत की गई। जनभागीदारी समिति ने भवन की अपर्याप्तता को दूर करने हेतु फरवरी 1999 में प्रथम तल का निर्माण कार्य पूर्ण कराया। द्वितीय तल का निर्माण कार्य नवमीं पंचवर्षीय योजना में यू.जी.सी. अनुदान से तथा दूसरे भाग का निर्माण जनभागीदारी समिति द्वारा 2003 में पूर्ण करवाया गया। सन् 2014 में जनभागीदारी समिति ने केन्टीन भवन का निर्माण सम्पन्न कराया। महाविद्यालय में छात्राओं के लिए 20 सीटर छात्रावास बनकर तैयार है। इसी प्रकार नवीन ग्रंथालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

"ऋते ज्ञानान्न मुक्ति" अर्थात् ज्ञान प्राप्ति के बिना मुक्ति संभव नहीं है। हमारे महाविद्यालय का यही ध्येय वाक्य विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए हमें प्रेरित करता है।

भाग–एक

उपलब्ध अध्ययन–व्यवस्था

वर्तमान समय में महाविद्यालय में निम्नलिखित विषयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन–अध्यापन की व्यवस्था है:–

स्नातक स्तर

- कला (बी.ए.) :– हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, गणित, गृहविज्ञान, इतिहास, मनोविज्ञान, आधार पाठ्यक्रम।
- विज्ञान (बी.एस.सी.) :– रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित, सूचना प्रौद्योगिकी, भूगोल एवं आधार पाठ्यक्रम, ।
- गृह विज्ञान (बी.एस.सी.) :– पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्व विद्यालय रायपुर द्वारा घोषित पाठ्यक्रमानुसार गृह विज्ञान के सभी अनिवार्य विषय ।
- वाणिज्य (बी.कॉम.) :– पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्व विद्यालय रायपुर द्वारा घोषित पाठ्यक्रमानुसार सभी अनिवार्य विषय एवं ऐच्छिक विषय कम्प्यूटर।
- बी.सी.ए. :– पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्व विद्यालय रायपुर द्वारा घोषित पाठ्यक्रमानुसार सभी अनिवार्य विषय ।
- विधि (एल.एल.बी.) :– पाठ्यक्रमानुसार सभी अनिवार्य विषय।
- डी.सी.ए. :– सभी अनिवार्य विषय।

स्नातकोत्तर स्तर

- कला (एम.ए.) :– हिन्दी, राजनीति–शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास।
- विज्ञान (एम.एस.सी.) :– रसायन शास्त्र, एवं गणित।
- गृह विज्ञान (एम.एस.सी.) :– मानव विकास।
- वाणिज्य (एम.कॉम.) :– सभी अनिवार्य विषय
- पी.जी.डी.सी.ए. :– सभी अनिवार्य विषय।

B.C.S. GOVT. P.G. COLLEGE DHAMTARI (C.G.) No. ...... Dt. ......

महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार प्रवेश हेतु विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित स्थान

स्नातक स्तर

क्रमांक	पाठ्यक्रम		उपलब्ध स्थान
01.	बी.ए. भाग–1		270
02.	बी.एस.सी. भाग–1	(गणित समूह)	100
		(जीव विज्ञान समूह)	180
		(सूचना प्रौद्योगिकी)	60
03.	बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) भाग–1		40
04.	बी.कॉम. भाग–1		220
05.	बी.कॉम. (कम्प्यूटर) भाग–1		60
06.	विधि भाग–1 (प्रथम सेमेस्टर)		80
07.	डी.सी.ए.		40
08.	बी.सी.ए.		40

स्नातकोत्तर स्तर

क्रमांक	पाठ्यक्रम	उपलब्ध स्थान
1.	**एम.ए. (पूर्व)**	
	1. हिन्दी साहित्य	40
	2. राजनीति शास्त्र	40
	3. अर्थशास्त्र	40
	4. भूगोल	25
	5. इतिहास	30
02.	**एम.एस.सी. (पूर्व)**	
	1. रसायन शास्त्र	20
	2. गणित	30
3.	**एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)**	
	1. मानव विकास	10
4.	**एम.कॉम. (पूर्व)**	40
5.	पी.जी.डी.सी.ए.	100

B.C.S. GOVT. P.G. COLLEGE DHAMTARI No. ...... Dt. ......

संकायवार उपलब्ध विषय

कला संकाय (बी.ए.)

1. अनिवार्य विषय : (1) आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी + अंग्रेजी भाषा)
   (2) पर्यावरण अध्ययन।
2. वैकल्पिक विषय :
   निम्न विषय–समूहों में से तीन विषयों का चयन करना होगा।

1. समाज शास्त्र	2. राजनीति शास्त्र/गृह विज्ञान
3. हिन्दी साहित्य	4. अर्थशास्त्र
5. मनोविज्ञान/भूगोल	6. इतिहास/अंगेजी साहित्य

विज्ञान संकाय (बी.एस.सी.)

1. अनिवार्य विषय : (1) आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी + अंग्रेजी भाषा)
   (2) पर्यावरण अध्ययन।
2. वैकल्पिक विषय : निम्न विषयों में से कोई एक विषय समूह
   (अ) रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र।
   (ब) रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र एवं गणित ।
   (स) गणित, भौतिक शास्त्र एवं सूचना प्रौद्योगिकी (I.T) ।
   (द) गणित, भौतिक शास्त्र एवं भूगोल। (इ) रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं भूगोल

गृह विज्ञान (बी.एस.सी.)

1. अनिवार्य विषय : (1) आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी + अंग्रेजी भाषा)
   (2) पर्यावरण अध्ययन तथा सभी अनिवार्य विषय।

टीप : (10+2) परीक्षा में किसी भी संकाय में उत्तीर्ण छात्रा को बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी।

वाणिज्य संकाय (बी.कॉम.)

1. अनिवार्य विषय : (1) आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी + अंग्रेजी भाषा)
   (2) पर्यावरण अध्ययन तथा सभी अनिवार्य विषय।

स्ववित्तीय पाठ्यक्रम

1. बी.कॉम. कम्प्यूटर (अतिरिक्त विषय) 2. बी.सी.ए.
3. डी.सी.ए. 4. पी.जी.डी.सी.ए.
5. बी.एस.सी. (आई.टी.)

प्रवेश–आवेदन पत्र

इस महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र परीक्षा फल घोषित होने के 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है।

सूचना : प्रत्येक संकाय/कक्षा में प्रवेश हेतु अलग–अलग प्रवेश आवेदन पत्र जमा करें। एक संकाय/कक्षा में प्रवेश हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र, दूसरे संकाय/कक्षा में प्रवेश हेतु मान्य नहीं होगा। इन सभी आवेदन पत्रों में आवश्यक प्रमाण–पत्रों की अभिप्रमाणित सत्य–प्रतिलिपि आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा।

1 सभी प्रवेश आवेदन पत्र तथा फीशिप, निर्धारित फार्म में दिए जाए। आवेदन पत्र निर्धारित राशि कार्यालय में जमा करने पर प्राप्त किया जा सकता है। यह राशि किसी भी कारण से लौटाई नहीं जाएगी।

2. आवेदन–पत्र स्वयं विद्यार्थी द्वारा ही भरा जाना चाहिए तथा पिता या पालक द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है।

3. महाविद्यालय में प्रथम बार प्रवेश लेने के उपरांत उत्तीर्ण होने पर अगली कक्षा में प्रवेश हेतु नया प्रवेश–आवेदन पत्र नहीं भरना होगा। उसके स्थान पर विवरणिका के साथ एक नवीनीकरण आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी भरकर देना होगा ताकि उनके अभिभावक का नाम एवं पता महाविद्यालय में उपलब्ध रहे।

विशेष : निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्रों की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ होना अनिवार्य है।

1. विद्यार्थी की पिछली संस्था का मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रवेश कार्ड लेते समय देना होगा।
2. डुप्लीकेट स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में निकटतम पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाए। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी को वचन पत्र देना होगा।
3. पिछली कक्षा की अंक सूची की सत्य प्रतिलिपि मूल अंकसूची के साथ आवश्यक रूप से जांच हेतु प्रस्तुत करें। मूल अंकसूची विद्यार्थी को तुरन्त वापस कर दी जायेगी।
4. प्रवजन प्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) (उन विद्यार्थियो के लिए है जो पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर या छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित किसी भी संस्था के न रहे हों) ।

पिछली संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

5. पिछली संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
6. जो विद्यार्थी स्वाध्यायी (प्राइवेट) परीक्षार्थी के रूप में पिछली परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो, उसे किन्हीं दो सम्मानित व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
7. यदि विद्यार्थी किसी वर्ष परीक्षा में नहीं बैठे या अनुत्तीर्ण हुए हों तो ऐसे गत वर्षो की परीक्षा संबंधी जानकारी (एफिडेविट में) प्रवेश पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
8. जिन विद्यार्थियों ने गत परीक्षा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर अथवा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल/सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. नई दिल्ली के अलावा अन्य किसी बोर्ड/ विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो उन्हें पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से प्रवेश संबंधी पात्रता प्रमाण पत्र, महाविद्यालय प्रवेश आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
9. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/बी.पी.एल. के विद्यार्थियों को विभिन्न सुविधाओं हेतु छात्रवृत्तियों के लिए भी निम्नानुसार प्रमाण पत्र लगाने होंगे:–

   (1) जाति प्रमाण–पत्र

   (2) आय प्रमाण–पत्र

   (3) निवास प्रमाण पत्र

   (4) आधार कार्ड

   ये प्रमाण पत्र तहसीलदार अथवा राजस्व अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जायें।
10. आधार कार्ड की छाया प्रति।
11. बैंक पासबुक की छाया प्रति।
12. नौकरी करने वाले विद्यार्थियों के लिए नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
13. शासकीय निर्देशानुसार यदि किसी विद्यार्थी ने किसी कक्षा में प्रवेश लिया हो और किन्ही कारणों से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाया हो अथवा अध्ययन बीच में बन्द कर दिया हो तो ऐसे विद्यार्थियों को उसी कक्षा में पुनः प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
14. शासकीय नियमों के विरूद्ध प्रवेश हेतु अवांछित दबाव डालने की स्थिति में उच्चाधिकारियों को सूचित किया जावेगा तथा प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

सामान्य सूचनायें

1. यदि विद्यार्थी एक संकाय छोड़ दूसरे संकाय में प्रवेश चाहे तो उसका गुणानुक्रम प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत काटकर निर्धारित किया जायेगा।
2. विद्यार्थी अपनी उपाधि के लिए जो विषय लेना चाहता है उसका चयन सावधानी से करें। विषय परिवर्तन प्राचार्य की अनुमति के बिना नहीं होगा तथा निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
3. प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना घर पर नहीं भेजी जायेगी, प्रवेश सूचना महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी। सूचना पहुँचाने की जिम्मेदारी महाविद्यालय की नहीं होगी।
4. प्रवेश सूची जारी होने के सात दिनों के अन्दर शुल्क जमा कर प्रवेश लेना होगा।
5. प्रवेश संबंधी प्राचार्य का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
6. विद्यार्थी की उपस्थिति की गणना महाविद्यालय की नियमित कक्षाओं के प्रारंभ होने की तिथि से की जावेगी, छात्र के प्रवेश लेने की तिथि से नहीं। उपस्थिति में छूट की कोई सुविधा नहीं दी जावेगी। यदि उपस्थिति 75% से कम होगी तो नियमित छात्र के रूप मे परीक्षा में सम्मिलिति होने की पात्रता नहीं होगी।
7. प्रत्येक प्रमाण पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक सत्य प्रतिलिपि होना आवश्यक है।
8. प्रवेश–आवेदन पत्र जमा करने के बाद मूल अंक–सूची कार्यालय से तुरंत लेने की जिम्मेदारी विद्यार्थी की ही होगी।
9. आवेदन पत्र के साथ उपरोक्त कंडिकाओं में उल्लेखित प्रमाण पत्र संलग्न न होने पर विद्यार्थी तत्संबंधी सुविधा से वंचित रहेगा।

प्राचार्य को पूर्ण अधिकार है कि वे किसी विद्यार्थी का नाम महाविद्यालय की सूची से काट दें यदि :–

1. विद्यार्थी महाविद्यालय का प्रवेश–शुल्क निर्धारित तिथि के अन्दर जमा नहीं करता है।
2. यदि विद्यार्थी महाविद्यालय की आन्तरिक मूल्यांकन परीक्षा में लगातार अनुपस्थित रहता हो।
3. विद्यार्थी का व्यवहार प्राचार्य की दृष्टि में असंतोषजनक हो।
4. विद्यार्थी किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता करता हो।
5. विद्यार्थी रैगिंग में संलिप्त पाया जाये।
6. यदि विद्यार्थी किसी आपराधिक या अनैतिक कार्यो में लिप्त हो।
7. शासकीय नियमानुसार यदि कोई विद्यार्थी लगातार 1 माह से अधिक बिना सूचना के महाविद्यालय में अनुपस्थित रहता है तो उसका नाम महाविद्यालय से बिना सूचना के काट दिया जायेगा।

अर्हता

अर्हता संबंधी नियम राज्य शासन उच्च शिक्षा विभाग तथा पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होंगे।

सूचना :-

1. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को छोड़कर अन्य बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से आने वाले विद्यार्थियों को प्रवजन (Migration) प्रमाण–पत्र जमा करना होगा।
2. महाविद्यालय में विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा मान्य होने तक अस्थाई रहेगा। अर्हता के संबंध में अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।
3. पूर्व परीक्षा में जो विद्यार्थी अमहाविद्यालयीन (प्राइवेट) परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हुए हों अथवा अन्य विश्वविद्यालय से आए हो, उन्हें विश्वविद्यालय नामांकन फार्म भरना अनिवार्य है।

शुल्क संबंधी नियम

1. विद्यार्थी स्वयं काउन्टर पर ही फीस जमा करें।
2. प्रत्येक फीस तथा जमा की गयी राशि के लिए विद्यार्थी उसी समय रसीद प्राप्त करें। यदि रसीद मिलने में कोई कठिनाई हो तो तुरन्त प्राचार्य को सूचित करें। रसीद नहीं लेने तथा उसी समय प्राप्त न करने की जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी। फीस के रूप में जमा कराई गई राशि में से कॉशन मनी (धरोहर राशि) के अलावा अन्य कोई भी राशि वापसी योग्य नहीं होगी।
3. शुल्क की राशि शासन के निर्देशानुसार परिवर्तनीय है। परिवर्तन संबंधी सभी आदेश अनिवार्य रूप से मानने होंगे।
4. विद्यार्थी सहायता निधि से सहायता हेतु विद्यार्थी निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। निर्धारित प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त करें। एक विद्यार्थी को एक ही प्रकार की छात्रवृत्ति या सहायता राशि मिलेगी।
5. नामांकन शुल्क उन विद्यार्थियों के लिए देय है, जो बोर्ड अथवा अन्य विश्वविद्यालय से स्थानांतरित होकर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.) में नामांकित होना चाहते हैं।

शासकीय महाविद्यालयों की शासकीय एवं अशासकीय शुल्कों का विवरण

शासकीय शुल्क

1. शिक्षण शुल्क	
(अ) समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाएँ	115.00
(ब) विधि संकाय	144.00
2. प्रवेश शुल्क	3.00
3. स्टेशनरी शुल्क	2.00
4. प्रायोगिक शुल्क	20.00

अशासकीय शुल्क

1. विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क	150.00
2. विश्वविद्यालय शारीरिक कल्याण शुल्क	150.00
3. छात्र संघ प्रवेश शुल्क	5.00
4. परिचय पत्र	25.00
5. सायकल स्टैण्ड	70.00
6. चिकित्सा शुल्क	3.00
7. छात्र कामन रूम (वाचनालय) शुल्क	20.00
8. विभागीय ग्रन्थालय शुल्क (केवल स्नातकोत्तर विभागों के लिए)	15.00
9. पुनः प्रवेश शुल्क	10.00
10. अप्रवासन शुल्क (माइग्रेशन)	~~220.00~~ 360.00
11. धरोहर राशि स्नातक	60.00
धरोहर राशि स्नातकोत्तर	100.00
12. निर्धन छात्र कल्याण निधि	5.00
13. सम्मिलित निधि शुल्क	20.00
14. क्रीड़ा शुल्क	12.00
15. सोशल गेदरिंग	20.00
16. महाविद्यालय पत्रिका	40.00
17. युवा उत्सव	20.00
18. रेडक्रास	25.00
19. महाविद्यालय विकास शुल्क	25.00
20. जन भागीदारी शुल्क	300.00
21. आंतरिक परीक्षा शुल्क	75.00

नोट : 1. जनभागीदारी शुल्क परिवर्तनीय है।
2. विधि के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष रु. 880/– अतिरिक्त शुल्क देय है।

स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों का शुल्क निर्धारण निम्नानुसार है:–

बी.सी.ए.	–	14000/–	प्रतिवर्ष
पी.जी.डी.सी.ए.	–	14000/–	पूरे कोर्स हेतु
डी.सी.ए.	–	8000/–	पूरे कोर्स हेतु
बी.कॉम.कम्प्यूटर	–	5000/–	पूरे कोर्स हेतु

नोट :– (1) स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के निर्धारित शुल्क एकमुश्त भुगतान करना अनिवार्य है।
(2) स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के निर्धारित शुल्क प्रवेश लिये जाने के पश्चात् वापसी योग्य नहीं होंगे।

धरोहर राशि (अमानत राशि) प्राप्त करने के नियम

- धरोहर राशि निकलवाने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर महाविद्यालय के कार्यालय में कम से कम 10 दिन पूर्व जमा करें।
- महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र (T.C.) प्राप्त करने के पश्चात् राशि दी जायेगी।
- परिचय पत्र एवं मूल रसीद के बिना धरोहर राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- धरोहर राशि का भुगतान साधारणतया प्रति शुक्रवार को अपरान्ह में ही किया जायेगा।
- छात्र द्वारा महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के अंदर धरोहर राशि (Caution Money) वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। तीन वर्ष व्यतीत होने पर धरोहर राशि (Caution Money) वापस नहीं की जायेगी एवं शासन के पक्ष में राजसात कर ली जाएगी।

छात्रवृत्तियाँ–शिष्यवृत्तियाँ

1. छत्तीसगढ़ शासन तथा भारत सरकार की ओर से नियमित विद्यार्थीयों को पात्रतानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। विद्यार्थी अपने आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक भरकर महाविद्यालय के कार्यालय में जमा करें। आवेदन पत्र कार्यालय से प्रदान किये जायेंगे। अंतिम तिथि के संबंध में महाविद्यालय के सूचना फलक में सूचित किया जाता है। विद्यार्थी एक से अधिक छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन कर सकते है, परन्तु नियमानुसार उन्हें केवल एक ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी।
2. आवेदन पत्र लेकर उसे समय पर कार्यालय में विद्यार्थी स्वयं अपनी जिम्मेदारी से जमा करें। विलम्ब से प्राप्त या अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। इसके लिए महाविद्यालय की जवाबदारी नहीं होगी।
3. पात्रता होने पर भी यदि कोई विद्यार्थी उपरोक्त सुविधाओं के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, तो इनसे वंचित रह जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी।
4. छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति की सूचना विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जावेगी।
5. योग्य निर्धन विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता व शुल्क में छूट निर्धन छात्र कल्याण निधि से प्रदान की जाती है।
6. इसके अलावा निर्धन विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर पाठ्य पुस्तक वितरित करने का कार्य महाविद्यालय में बुक बैंक के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त पाठ्यपुस्तक सत्र के अंत में महाविद्यालय में वापस जमा करना होगा।

विशेष सूचना :–

- छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति एवं वित्तीय सहायता हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में ही जमा करें। यह आवेदन पत्र महाविद्यालय में प्रवेश–प्रक्रिया पूर्ण होने पर, कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- बी.पी.एल. छात्रवृत्ति हेतु गरीबी रेखा प्रमाण पत्र शहरी क्षेत्र के निवास करने वाले राजस्व अधिकारी, नगर निगम एवं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से प्राप्त कर लगावें।
- अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को पात्रतानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- छात्रवृत्ति का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है, छात्र बैंक में बचत खाता खोलकर खाता क्रमांक की जानकारी कार्यालय को दें एवं आधार कार्ड से खाते की सिडिंग करवाएं।

छात्रवृत्तियों/शिष्यवृत्तियों के संबंध में विशेष जानकारी

1. छात्रवृत्तियों/शिष्यवृत्तियों का विस्तृत विवरण छात्रवृत्ति मार्गदर्शिका में देंखे जो कि महाविद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध है। विद्यार्थी उसे पूरा पढ़ें व तदनुसार आवेदन समयावधि में कार्यालय में जमा करें।
2. उपरोक्त नियमों, पात्रता, आधार संबंधी शर्तो, वार्षिक दर आदि में शासन के निर्णयानुसार कभी भी परिवर्तन व संशोधन हो सकता है जो कि महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाया जावेगा जिसे देखने का दायित्व स्वयं विद्यार्थी का होगा।
3. महाविद्यालय के सूचना फलक पर घोषित अंतिम तिथि के भीतर आवेदन पत्र नहीं देने पर आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जायेगा।
4. छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति संबंधी सूचनाएँ समय–समय पर नोटिस बोर्ड पर देखना विद्यार्थी का स्वयं का दायित्व है।
5. अपूर्ण या गलत अथवा अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र अमान्य कर दियें जायेंगे।
6. उपरोक्त जानकारी नवीन छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति के लिए है।
7. प्रत्येक छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति नवीनीकरण हेतु विद्यार्थी को कार्यालय से प्रपत्र लेकर जुलाई माह में आवेदन करना होगा। नवीनीकरण का आधार पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण होना है।
8. विद्यार्थी को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रति वर्ष जुलाई में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा अन्यथा चालू वर्ष में छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति मिलना बंद हो जायेगी, जिसका दायित्व पूरी तरह विद्यार्थी का ही है।
9. सेन्ट्रल बोर्ड की बारहवीं परीक्षा पास विद्यार्थी के लिए नवीन छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति हेतु पात्रता का आधार बारहवीं परीक्षा के अंक होंगे।
10. आय संबंधी योग्यता तथा अन्य आधारों में कभी भी शासन द्वारा संशोधन संभव है।
11. गलत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपराध है। इस पर शासन द्वारा किसी भी समय जांच की जा सकती है।
12. शासन के नियमानुसार जिन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति के नियमानुसार उनकी नियमित उपस्थिति अनिवार्य है। इस प्रकार यदि कक्षाओं में उनकी उपस्थिति 75 % से कम रहे तथा परीक्षाओं में बैठने की पात्रता विश्वविद्यालयीन नियम के अंतर्गत भले ही हो लेकिन शासकीय नियमों के अन्तर्गत उनकी छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति आनुपातिक रूप से काट ली जायेगी।

टीप :– महाविद्यालय के विद्यार्थी जिन्हें कोई भी छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति मिलती है, यदि हड़ताल आदि में भाग लेते हैं, तो ऐसे कदाचरण के कारण उनकी छात्रवृत्ति प्रभावित होगी।

भाग दो

महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ

भवन – महाविद्यालय का अपना तीन मंजिला भवन हैं जिसमें अध्ययन कक्ष, प्रयोग शालाएं तथा प्रशासनिक खंड शामिल हैं ग्रंथालय का अलग से भवन है। आई.टी. विभाग एवं विधि विभाग के लिए पृथक भवन है।

शोध केंद्र – महाविद्यालय को हिन्दी तथा अर्थशास्त्र विषय में शोधकार्य करने हेतु शोध केंद्र बनाया गया है। इन विषयों में पी.एच.डी. करने के इच्छुक विद्यार्थी नियमित प्रवेश प्राप्त कर सकते है।

केन्टीन– महाविद्यालय परिसर में पृथक केन्टीन भवन की व्यवस्था है।

गर्ल्स कॉमन रूम – महाविद्यालय के मुख्य भवन के प्रथम तल में पृथक से गर्ल्स कॉमन रुम की व्यवस्था है जिसमें छात्राओं के लिए वाटर कूलर विद् एक्वागार्ड, चेंजिंग रूम तथा सेनेटरी नेपकीन वेंडिग मशीन की सुविधा उपलब्ध है।

वाई–फाई केम्पस – महाविद्यालय में नियमित प्रवेशित छात्र–छात्राओं के मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराने पर पासवर्ड प्रदान कर वाई–फाई की सुविधा दी जाती है।

प्राथमिक उपचार कक्ष – महाविद्यालय भवन में आवश्यक सुविधाओं से पूर्ण प्राथमिक उपचार कक्ष की सुविधा उपलब्ध है। यूथ रेडक्रॉस सोसायटी की सहायता से इसका संचालन किया जाता है।

स्मार्ट क्लास रूम – रूसा (RUSA) मद से निर्मित भवन के कक्ष में स्मार्ट क्लास रुम निर्माणाधीन है।

पुस्तकालय/वाचनालय

(अ) पुस्तकालय, वाचनालय का विद्यार्थी पूरा–पूरा उपयोग करें। यदि विद्यार्थी पुस्तकालय की सुविधा का दुरुपयोग करते हैं, तो उन्हें इस सुविधा से वंचित किया जा सकता है। दी गई पुस्तकों के पृष्ठ फटे अथवा खोये हुए पाये जाने पर विद्यार्थियों को पूर्ति करनी होगी। पुस्तक लेते समय विद्यार्थियों को चाहिए कि वह देख ले कि पुस्तक का कोई भी पृष्ठ खोया हुआ/फटा हुआ तो नहीं है। यदि विद्यार्थी ऐसा पाये तो तत्काल वह ग्रंथपाल (लाइब्रेरियन) का ध्यान इस ओर आकर्षित करें, ताकि उन्हें दूसरी पुस्तक प्रदान की जा सके। निर्धारित समय के भीतर पुस्तक वापस न करने की दशा में अर्थ दंड देना होगा।

(ब) प्रश्न पत्र एवं समाचार पत्र व पत्रिकाओं का उपयोग विद्यार्थी केवल वाचनालय में बैठकर ही कर सकते हैं।

बुक बैंक योजना

1. साधनहीन व निर्धन विद्यार्थियों के लिये बुक बैंक की विशेष योजना की व्यवस्था है। इच्छुक विद्यार्थी 30 सितंबर के पूर्व बुक बैंक की सहायता हेतु आवेदन करें। आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करें। बुक बैंक से पुस्तक एक सत्र के लिए प्राप्त हो सकेगी जो सत्रांत में लौटानी होगी।
2. महाविद्यालय के ग्रंथालय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए पृथकतः "बुक बैंक" योजना प्रारंभ है, महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात् ही विद्यार्थी प्रवेश–पत्र, परिचय पत्र एवं जाति प्रमाण –पत्र प्रस्तुत कर ग्रंथालय से पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं।

बी.पी.एल.(गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले) बुक बैंक योजना एवं बी.पी.एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति

इस योजना के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण–पत्र, बी.पी.एल. कार्ड, निवास प्रमाण–पत्र एवं आय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति एवं प्रपत्र, प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

नोट :– बुक बैंक की योजना से संबंधित किसी भी समस्या के लिए प्रभारी ग्रंथपाल तथा श्रीमती हेमवती ठाकुर से संपर्क करें।

एन.सी.सी.

छात्र–छात्राओं के लिए 27 सी.जी. बटालियन की 02 यूनिट संचालित हैं । एन.सी.सी. का ध्येय चरित्र–निर्माण, आत्मशक्ति का विकास एवं मूल रूप से सैनिक शिक्षा देना है।

राष्ट्रीय सेवा योजना

यह योजना पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से सम्बद्ध है। इसके अंतर्गत गांव में शिविर लगाकर समाज–सेवा कार्य किया जाता है। महाविद्यालय में प्रो. कोमल प्रसाद एवं प्रो. पंकज जैन के नेतृत्व में दो यूनिट कार्यरत है। प्राचार्य की अध्यक्षता में इस योजना का संचालन किया जाता है।

खेलकूद

महाविद्यालय में विभिन्न खेलों की समुचित व्यवस्था है। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इनमें रूचि लेकर भाग लें। महाविद्यालय के प्रांगण में विद्यार्थियों के लिये इनडोर एवं आउटडोर खेलकूद की समुचित व्यवस्था है। महाविद्यालय परिसर में वृहत खेल मैदान के साथ–साथ सर्वसुविधायुक्त मिनी स्टेडियम की सुविधा उपलब्ध है।

1. शारीरिक शिक्षण विभाग की विभिन्न गतिविधियों का संचालन क्रीड़ा अधिकारी द्वारा सलाहकार समिति के मार्गदर्शनानुसार सम्पन्न होता है। क्रीड़ा सलाहकार समिति के अध्यक्ष–प्राचार्य, प्राचार्य द्वारा मनोनीत दो सचिव क्रीड़ा अधिकारी एवं खेलों में रूचि रखने वाले प्राध्यापक सदस्य होते है।
2. महाविद्यालय में विद्यार्थी, अन्तर्महाविद्यालयीन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के अन्तर्महाविद्यालयीन प्रतियोगिताओं में तथा विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय का भी प्रतिनिधित्व करते है, उन्हें निर्णयानुसार किट्स तथा ब्लेजर दिये जाते है।

यूथ रेड क्रास सोसायटी

ध्येय :– छात्रों का सर्वांगीण विकास, उनमें स्वप्रेरित सेवा भाव जागृत करना, रोगियों, पीड़ितों, अशक्त तथा असहायों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ना, कार्यशालाओं का आयोजन करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व मातृत्व की भावना जागृत करना।

1. यूथ रेड क्रास सोसायटी का वार्षिक सदस्यता शुल्क रु. 25/– प्रति छात्र होगी।
2. महाविद्यालय के प्राचार्य की अध्यक्षता में एक कार्य समिति का गठन किया जावेगा। कम से कम तीन छात्र प्रतिनिधि, प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी, पुस्तकालय प्रभारी सदस्य रहेंगे। समिति के सदस्यों की संख्या 11 होगी।
3. जिला अध्यक्ष एवं मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य सेवा अधिकारी के परामर्श एवं मार्गदर्शन में जन स्वास्थ्य तथा सेवा के क्षेत्र में कार्य किए जाएंगे।

छात्रावास की सुविधा

महाविद्यालय में छात्राओं के लिए 20 सीटर छात्रावास का निर्माण हो चुका है। आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था पूर्ण हो जाने पर छात्रावास सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी।

विशेष व्यवस्थाएँ

1. महाविद्यालय में शिकायत पेटी उपलब्ध हैं, जिसमें विद्यार्थी निःसंकोच अपनी कठिनाई लिख सकते हैं। इसमें शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाता है।

छात्रसंघ

महाविद्यालय में प्रतिवर्ष विद्यार्थियों की कलात्मक, सांस्कृतिक, साहित्यिक प्रतिभा के प्रोत्साहन हेतु पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के आध्यादेश क्रमांक 1 के अनुसार छात्र संघ गठित किया जाता है।

परिचय पत्र

प्रत्येक विद्यार्थी के लिए परिचय पत्र बनवाना अनिवार्य है, जिसमें पासपोर्ट साईज का एक फोटो लगाना भी अनिवार्य है। विद्यार्थी अपने परिचय–पत्र सावधानी पूर्वक रखें क्योंकि किसी भी परिस्थिति में परिचय पत्र दोबारा नहीं दिया जायेगा। एक विद्यार्थी को एक शिक्षण सत्र में एक बार ही परिचय पत्र दिया जायेगा।

भाग तीन

(क) प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांत

1. (अ) महाविद्यालय में प्रवेश हेतु खुले द्वार की नीति समाप्त कर दी गई है। उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखकर प्रत्येक स्तर पर प्रवेश निर्धारित किया जाता है।

   (ब) प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार दिया जाता है।

2. (अ) पूरक अथवा द्वितीय परीक्षा की पात्रता वाले विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

   (ब) स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश उन्हीं विद्यार्थियों को दिया जायेगा जिन्होंने छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो। यह प्रतिबंध छत्तीसगढ़ में पदस्थ अन्य प्रदेश सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों, राष्ट्रीकृत बैंक तथा भारत सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक संगठनों में कार्यरत कर्मचारियों के विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगा। स्थान रिक्त होने पर अन्य विद्यार्थियों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश की पात्रता होगी।

3. ऐसी परीक्षा के लिए जिसमें स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के रूप में सम्मिलित होने की सुविधा है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यह प्रतिबंध उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगा जो संकाय परिवर्तन चाहते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के आवेदनों पर स्थान उपलब्ध होने पर ही विचार किया जा सकेगा।

4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के क्रमशः 12% तथा 32% स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गो के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे। विकलांग एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संसर्ग में 3% सम्मिलित आरक्षण होगा। पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों के लिए 14% स्थान आरक्षित है। सभी वर्गो में छात्राओं के लिए 30% आंतरिक आरक्षण होगा।

5. बार कौंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा विधि भाग-एक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु निम्नानुसार पात्रता निर्धारित की गई है:–

   (क) स्नातक परीक्षा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए (सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए)

   (ख) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के लिए स्नातक परीक्षा न्यूनतम 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना निर्धारित है।

रैगिंग

रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है। इस संबंध में "छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम 2001" पारित किया है जो राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग तथा उनसे संबंधित मामलों और आनुषंगिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियम है। इस अधिनियम के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है:–

परिभाषा :–

रैगिंग से अभिप्राय है किसी छात्र/छात्रा को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो या किसी विधिपूर्ण कार्य करने से प्रविरत करना, अपराधिक, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, या उससे क्षति पहुँचाना या उस पर अपराधिक बल का प्रयोग करना या ऐसी अपराधिक धमकी देना।

रैगिंग का प्रतिषेध :–

किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र/छात्रा प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा।

दण्ड :–

यदि कोई व्यक्ति रैगिंग के प्रतिषेध के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग करने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो वह या तो कारावास से जो 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी या जुर्माने से जो 5 हजार रुपये से अधिक नहीं होगी या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक संज्ञेय अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होगा।

अपराधों का विचारण :–

इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

छात्र/छात्रा के निष्कासन के लिये निर्योग्यता :–

इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिये अभियुक्त छात्रा को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था–परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा।

किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र/छात्रा जो इस अधिनियम के अधीन सिद्ध दोषी पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिए जिम्मेदार होगा।

ऐसे छात्र/छात्रा जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, को किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

स्थानीय प्रबंधन समिति (जनभागीदारी समिति)

महाविद्यालय में शैक्षणिक विकास को गति देने की शासन की नीति के तहत महाविद्यालय के साथ नागरिकों की सहभागिता आवश्यक है। इसे दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा प्रत्येक शासकीय महाविद्यालय में जनभागीदारी समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। समिति का मुख्य उद्देश्य महाविद्यालय के विकास में नागरिकों से वित्तीय सहायता प्राप्त करना है।

शासन द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष **माननीय श्री रघुनंदन साहू जी** को जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। जिला कलेक्टर समिति के पदेन उपाध्यक्ष तथा महाविद्यालय के प्राचार्य पदेन सचिव होते है। अध्यक्ष द्वारा विभिन्न वर्गो का प्रतिनिधित्व करने वाले गणमान्य नागरिकों का सदस्य के रूप में निम्नानुसार मनोनयन किया गया है।

1.	स्थानीय संगठन प्रतिनिधि	–	श्री सुरेश गोयल
2.	उद्योग प्रतिनिधि	–	श्री नवीन सॉखला
3.	स्थानीय संस्था प्रतिनिधि	–	श्री नीलेश लुनिया
4.	कृषक प्रतिनिधि	–	श्री ईश्वर देवांगन
5.	पोषक शाला प्रतिनिधि	–	श्री डी.एस. नेताम
6.	भूतपूर्व छात्र प्रतिनिधि	–	श्री राजीव सिन्हा
7.	भूतपूर्व छात्र प्रतिनिधि	–	श्री चेतन हिन्दुजा
8.	अभिभावकों के प्रतिनिधि	–	श्री ज्ञानिक रामटेके
9.	अभिभावकों के प्रतिनिधि	–	श्री देवेन्द्र चन्द्राकर
10.	महिला प्रतिनिधि	–	श्रीमति प्रमिला अग्रवाल
11.	सांसद प्रतिनिधि	–	श्री विजय साहू
12.	विधायक प्रतिनिधि	–	श्री विक्रांत शर्मा

महाविद्यालय–परिवार

प्राचार्य–डॉ. चन्द्रशेखर चौबे

संकाय अध्यक्ष

प्रत्येक संकाय में अकादमिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्राचार्य द्वारा संकाय अध्यक्षों की स्थानीय व्यवस्था की जाती है।

❖ कला संकाय	डॉ. श्रीमती श्रीदेवी चौबे
❖ विज्ञान संकाय	डॉ. ए.के. सिंग
❖ वाणिज्य संकाय	श्री अमरसिंह साहू
❖ गृह विज्ञान संकाय	प्रो. श्रीमती सरोज प्रसाद
❖ विधि संकाय	प्रो. दुर्गेश प्रसाद

हिन्दी (01+03)

1.	....	प्राध्यापक
2.	डॉ. श्रीमती श्रीदेवी चौबे	प्राध्यापक (विभागाध्यक्ष)
3.	डॉ. श्रीमती सी. साहू	प्राध्यापक
4.	श्री विनय देवांगन	सहायक प्राध्यापक

राजनीति शास्त्र (02)

1.	डॉ. श्रीमती पी. वेरूलकर	प्राध्यापक (विभागाध्यक्ष)
2.	श्री पी. वर्गीस	सहायक प्राध्यापक

अर्थशास्त्र (01+02)

1.	....	प्राध्यापक
2.	डॉ. श्रीमती एम. खालसा	प्राध्यापक (विभागाध्यक्ष)
3.	डॉ. वेदवती देवांगन	सहायक प्राध्यापक
4.	डॉ. तामेश्वरी साहू	सहायक प्राध्यापक

भूगोल (03)

1.	श्रीमती ग्रेस कुजूर	सहायक प्राध्यापक (विभागाध्यक्ष)
2.	डॉ. ए. एस. साहू	सहायक प्राध्यापक
3.	श्री.के. पी. कोसिमा	सहायक प्राध्यापक

इतिहास (01+02)

1.	....	प्राध्यापक
	डॉ. रोशन आरा	प्राध्यापक (विभागाध्यक्ष)
2.	डॉ. हेमवती ठाकुर	सहायक प्राध्यापक

गृह विज्ञान (02)

1. श्रीमती सरोज प्रसाद — सहायक प्राध्यापक (विभागाध्यक्ष)
2. श्रीमती रीता लकरा — सहायक प्राध्यापक

समाज शास्त्र (01)

1. डॉ. श्रीमती ए. राजपुरिया — प्राध्यापक (विभागाध्यक्ष)

वाणिज्य (01+05)

1. .... — प्राध्यापक
2. श्री अमरसिंह साहू — सहायक प्राध्यापक (विभागाध्यक्ष)
3. .... — सहायक प्राध्यापक
4. .... — सहायक प्राध्यापक
5. .... — सहायक प्राध्यापक
6. .... — सहायक प्राध्यापक

रसायन शास्त्र (01+04)

1. .... — प्राध्यापक
2. डॉ. ए. के. सिंह — सहायक प्राध्यापक (विभागाध्यक्ष)
3. श्री अमित कुमार साहू — सहायक प्राध्यापक
4. डॉ. राकेश साहू — सहायक प्राध्यापक
5. .... — सहायक प्राध्यापक

भौतिक शास्त्र (02)

1. .... — सहायक प्राध्यापक
2. .... — सहायक प्राध्यापक

प्राणी शास्त्र (02)

1. .... — सहायक प्राध्यापक
2. .... — सहायक प्राध्यापक

गणित (01+03)

1. .... — प्राध्यापक
2. डॉ. व्ही. के. पाठक — सहायक प्राध्यापक (विभागाध्यक्ष)
3. .... — सहायक प्राध्यापक
4. .... — सहायक प्राध्यापक

वनस्पति शास्त्र (02)

1. श्री एन. एस. देहारी — सहायक प्राध्यापक (विभागाध्यक्ष)
2. .... — सहायक प्राध्यापक

अंग्रेजी (01)

1. श्री पी. सी. चौधरी — सहायक प्राध्यापक (विभागाध्यक्ष)

आई.टी. (01)

1. .... — सहायक प्राध्यापक

विधि (05)

1. श्री दुर्गेश प्रसाद — सहायक प्राध्यापक (विभागाध्यक्ष)
2. डॉ. सपना ताम्रकार — सहायक प्राध्यापक
3. श्री पंकज जैन — सहायक प्राध्यापक
4. श्री कोमल प्रसाद यादव — सहायक प्राध्यापक
5. श्री प्रेमनाथ भारती — सहायक प्राध्यापक

मनोविज्ञान (02)

1. डॉ. सरला द्विवेदी — सहायक प्राध्यापक (विभागाध्यक्ष)
2. श्रीमती जयश्री पंचागम — सहायक प्राध्यापक

ग्रंथालय

1. श्री पी. बी. पराड़कर — ग्रंथपाल (प्रभारी)

क्रीड़ा विभाग

1. डॉ. देवाशीष हाजरा — क्रीड़ा अधिकारी

रजिस्ट्रार

1. श्री के. के. ध्रुव — रजिस्ट्रार

अराजपत्रित अधिकारी/कर्मचारी लिपिक वर्ग (01+02+03)

1. श्रीमती नमिता कर — छात्रावास अधीक्षक
2. .... — सहायक ग्रेड 01
3. श्री मिश्रीलाल यादव — सहायक ग्रेड 02
4. .... — सहायक ग्रेड 02
5. श्री के. आर. ध्रुव — सहायक ग्रेड 03
6. .... — सहायक ग्रेड 03
7. .... — सहायक ग्रेड 03

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (01)

1. कु. शुभम् सिन्हा — डाटा एन्ट्री ऑपरेटर

प्रयोगशाला तकनीशियन (06)

1.	श्री सी. एल. सालुंके	भूगोल
2.	श्री एस. के. राठौर	प्राणिशास्त्र
3.	श्री संतूराम सलाम	वनस्पति
4.	कु. पायल सोनवानी	भौतिकी
5.	श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव	रसायन
6.	....	गृह विज्ञान
7.	....	सूचना प्रौद्योगिकी

प्रयोगशाला परिचारक

1.	श्री अश्वनी लोधी	रसायन शास्त्र
2.	श्रीमती चन्द्रकिरण श्रीवास्तव	प्राणिशास्त्र
3.	श्री धरमू राउत	वनस्पति शास्त्र
4.	श्रीमती शीतल पवार	गृह विज्ञान
5.	श्री ढालूराम साहू	भौतिकी
6.	....	भूगोल
7.	....	सूचना प्रौद्योगिकी

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

1.	श्रीमती तरूण बाई	भृत्य
2.	श्री पुन्नू लाल वाल्मीकि	भृत्य
3.	....	भृत्य
4.	....	भृत्य
5.	....	भृत्य
6.	....	भृत्य
7.	श्री कमल यादव	चौकीदार
8.	तिलकराम कंवर	बुकलिफ्टर
9.	....	फर्राश
10.	....	स्वच्छक
11.	....	अंशकालीन स्वच्छक (कलेक्टर दर पर)

अकादमिक कैलेण्डर

- सत्र का प्रारम्भ : 1 जुलाई
- प्रवेश प्रक्रिया (प्राचार्य का अधिकार) : 16 जून से 31 जूलाई
- कुलपति की अनुमति से प्रवेश की अंतिम तिथि : 14 अगस्त

अन्य समस्त गतिविधियां विश्वविद्यालय समन्वय समिति द्वारा घोषित कैलेन्डर के अनुसार संपादित होंगी।

विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सतत् मूल्यांकन के तहत निम्नानुसार आंतरिक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

- प्रथम यूनिट टेस्ट – अगस्त
- द्वितीय यूनिट टेस्ट – सितंबर
- त्रैमासिक परीक्षा – अक्टूबर
- तृतीय यूनिट टेस्ट – नवंबर
- चतुर्थ यूनिट टेस्ट – दिसंबर
- प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा – जनवरी
- वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा – फरवरी

शिक्षकों की उपलब्धता

प्रत्येक कार्य दिवस पर शिक्षक महाविद्यालय में 7 घंटे उपलब्ध रहेंगे।

1. प्रातः कालीन पाली के लिए : प्रातः 7:30 से 2:30 अपरान्ह
2. दिवस कालीन पाली के लिए : प्रातः 10:30 से 5:30 अपरान्ह
3. 07 घंटे का ब्रेकअप : 6 घंटे अध्ययन, अध्यापन कार्य (प्रायोगिक, ट्यूटोरियल, रेमेडियल, शोध–कार्य, लाइब्रेरी वर्क, सम्मिलित), 1 घंटा अन्य कार्य (खेलकूद, रिक्रियेशन, प्राचार्य द्वारा प्रदत्त कार्य) पाठ्यक्रम पुनरावलोकन में प्रत्येक शिक्षक एक घंटा अतिरिक्त कक्षाएं लेकर विद्यार्थियों का शंका समाधान करेंगे।

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता

- प्रत्येक विषय में 75% उपस्थिति अनिवार्य।
- एन.सी.सी. कैम्प / एन.एस.एस. कैम्प / खेलकूद / राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं / यूथ रेडक्रास सोसायटी के कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जावेगा।
- उपस्थिति की प्रथम गणना 31 अक्टूबर तक की जावेगी।
- कम उपस्थिति वाले छात्रों तथा उनके पालकों को सूचना दी जायेगी।
- उपस्थिति की द्वितीय गणना 17 फरवरी तक की जायेगी।

विद्यार्थियों के लिए आचरण–संहिता

1. सामान्य नियम

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय–परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, मारपीट या आग्रेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय–परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल, निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन–निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी के असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजंनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।

2. *अध्ययन संबंधी नियम*

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी. / एन.एस. एस. में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ–सुथरा रखेगा।
3. ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय में न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से सम्बन्धित किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षो, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

3. *परीक्षा सम्बन्धी नियम*

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

4. *महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र*

1. यदि छात्र किसी अनैतिकतामूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना–प्रतिषेध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय–सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना–पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

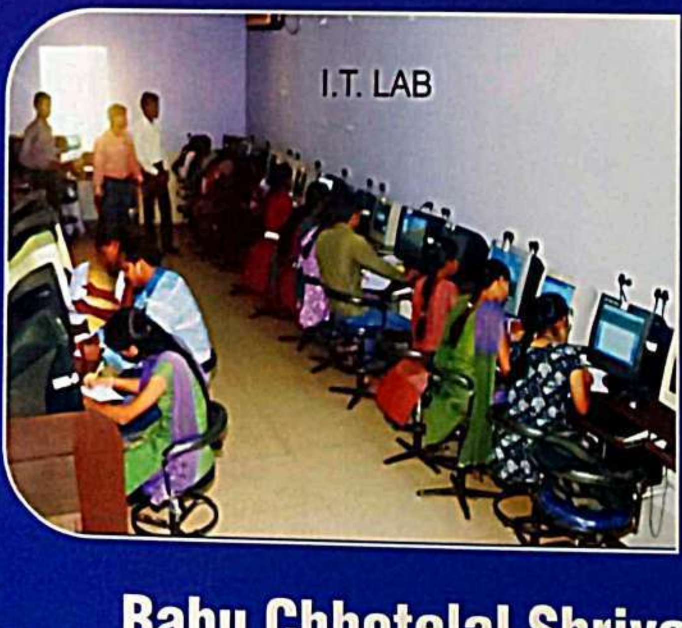

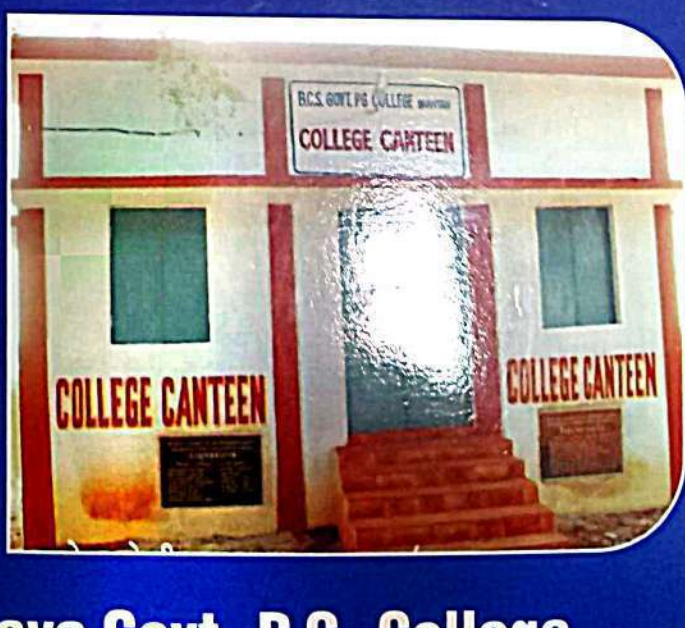

Babu Chhotelal Shrivastava Govt. P.G. College

Dhamtari (Chhattisgarh) Ph. : 07722-237933, E-mail : pgcollege.dhamtari@gmail.com